आर.एन.आर.

एम. एल. सिंघल के समक्ष

वेद सिंह-याचिकाकर्ता

बनाम

जीतेन्द्र सिंह और अन्य-प्रतिवादी

ई.पी. 2000 का नंबर 7

15 मार्च 2002

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951-एस.एस. 36(2), 80, 81, 83, 86 और 100-सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-0.7 आरआई। 11, 0.6 रिस. 2 और 16-हरियाणा विधानसभा का चुनाव-प्रतिवादी नंबर 1 को 740 वोटों के मामूली अंतर से निर्वाचित घोषित किया गया-उसे चुनौती- दो

उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की अनुचित स्वीकृति का आरोप-याचिकाकर्ता यह स्थापित करने में विफल रहा कि ऐसी गलत स्वीकृति ने भौतिक रूप से प्रभावित किया है चुनाव का नतीजा- एस. 1951 अधिनियम के 83 (ए) में प्रावधान है कि एक चुनाव याचिका में उन भौतिक तथ्यों का संक्षिप्त विवरण होगा जिन पर याचिकाकर्ता भरोसा करता है-याचिकाकर्ता अपने दावे के समर्थन में सभी भौतिक तथ्यों का उल्लेख करने में विफल रहा है कि यदि दोनों जिन उम्मीदवारों को प्रतियोगिता के मैदान से बाहर कर दिया गया है, याचिकाकर्ता को उनके द्वारा प्राप्त सभी वोट मिले होंगे-याचिका कार्रवाई के किसी भी कारण का खुलासा नहीं करती है और खारिज की जा सकती है।

यह माना गया कि, चुनाव याचिका में उन भौतिक तथ्यों का अभाव है जो याचिकाकर्ता के लिए निर्वाचित उम्मीदवार के चुनाव को चुनौती देने के लिए कार्रवाई का कारण बनते हैं। अपने दावे के समर्थन में सभी भौतिक तथ्यों का उल्लेख करने में विफलता कि यदि उत्तरदाताओं संख्या 2 और 5 को प्रतियोगिता के मैदान से बाहर कर दिया गया होता, तो उन्होंने उनके पक्ष में एकत्र किए गए सभी वोटों को मतदान किया होता, जिससे उनकी निरंतरता बाधित होगी। यह चुनाव याचिका. यह चुनाव याचिका किसी विचारणीय मुद्दे का खुलासा नहीं करती है। यह याचिका खारिज की जा सकती है और तदनुसार आदेश VI नियम 11 के साथ पठित आदेश VI नियम 16 सीपीसी के तहत इसे अस्पष्ट होने और कार्रवाई का पूरा कारण बनाने वाले भौतिक तथ्य और विवरण नहीं देने और वस्तुतः कार्रवाई का कोई कारण नहीं बताने के आधार पर खारिज किया जाता है।

सुखबीर सिंह, याचिकाकर्ता के वकील।

हवा सिंह हुडा, वरिष्ठ वकील अनिल राठी, प्रतिवादी नंबर 1 के वकील।

शीशपाल लालेर, प्रतिवादी नंबर 2 के वकील।

एस.पी. खत्री, प्रतिवादी संख्या 3 के वकील।

एस.एस. खरब, प्रतिवादी संख्या 4 के वकील।

रमेश हुडा, प्रतिवादी संख्या 5 के वकील।

निर्णय

एम. एल. सिंघल, जे.

(1) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (इसके बाद इसे अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 100 के साथ पठित धारा 80/81 के तहत दायर इस याचिका के माध्यम से। वेद सिंह याचिकाकर्ता ने 40-कैलाना विधानसभा क्षेत्र से हरियाणा विधानसभा के लिए प्रतिवादी नंबर 1 जितेंद्र सिंह के चुनाव को रद्द करने की प्रार्थना की है। उन्होंने आगे प्रार्थना की है कि यह घोषित किया जाए कि हरियाणा विधानसभा के लिए 40-कैलाना विधानसभा क्षेत्र से उनका चुनाव शून्य है। उसके पास है प्रार्थना की कि उन्हें (जितेंद्र सिंह को) पद से हटाया जाए और उनके स्थान पर उन्हें (वेद सिंह को) निर्वाचित घोषित किया जाए।

(2) हरियाणा विधानसभा को भरने के लिए चुनाव वर्ष 2000 में हुए। 40-कैलाना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए, याचिकाकर्ता उम्मीदवारों में से एक था। उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल (आईएनएलडी) के टिकट पर चुनाव लड़ा था. वह गांव पिपली खेड़ा का रहने वाला है। उनका नाम 40-कैलाना विधानसभा क्षेत्र के क्रमांक 632 भाग संख्या 108 पर दर्ज है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव कार्यक्रम इस प्रकार है।

नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि.	3-2-2000
नामांकन की जांच	4-2-2000
नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि	7-2-2000
मतदान की तिथि.	22-2-2000

(3) याचिकाकर्ता, उत्तरदाताओं और विभिन्न राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। नाम वापसी की तारीख के बाद, केवल याचिकाकर्ता और पांच प्रतिवादी ही चुनाव मैदान में बचे थे। 25 फरवरी, 2000 को गिनती हुई। गिनती के बाद प्रतिवादी नंबर 1

जितेंद्र सिंह को उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी (जो याचिकाकर्ता था) पर 740 वोटों के मामूली अंतर से निर्वाचित घोषित किया गया। याचिकाकर्ता को 34,913 वोट मिले जबकि प्रतिवादी नंबर 1 को 35,653 वोट मिले। कहा जाता है कि दया नंद प्रतिवादी नंबर 2 को 953 वोट मिले। बताया जाता है कि निरपाल प्रतिवादी को 621 वोट मिले। कहा जाता है कि निर्मल रानी प्रतिवादी नंबर 4 को 10,145 वोट मिले। कहा जाता है कि प्रतिवादी नंबर 5 महाबीर सिंह शर्मा को 1,035 वोट मिले। प्रतिवादी नंबर 1, जितेंद्र सिंह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रायोजित उम्मीदवार थे। दया नंद का नाम श्री राम किशन द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिनका नाम 40-कैलाना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची के क्रमांक 205, भाग संख्या 134 पर दर्ज था। दया नंद का नाम 40-कैलाना विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची के क्रमांक 203 भाग संख्या 134 पर दर्ज था। दया नंद ने दोपहर 2.45 बजे एसडीओ सिविल गन्नौर के कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। 2 फरवरी, 2000 को बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में। दया नंद पर आरोप है कि उन्होंने दोपहर 2.50 बजे शपथ ली/सदस्यता ली। 2 तारीख को फरवरी, 2000. श्री दया नंद का नामांकन पत्र अनुलग्नक है इस याचिका का पी-1. अनुलग्नक की सच्ची अनुवादित प्रति अनुलग्नक है वेद सिंह यू. जीतेन्द्र सिंह एवं अन्य (एम.एल. सिंघल, जे.)

पी1/टी. दया नंद के शपथ प्रपत्र की प्रमाणित प्रति इस याचिका के साथ अनुलग्नक पी-2 के रूप में संलग्न है और उसकी सही अनुवादित प्रति अनुलग्नक पी-2/टी के रूप में संलग्न है। श्री कंवल सिंह प्रतिवादी संख्या 5 के पुत्र महावीर सिंह शर्मा ने भी एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और उनका नाम 40-कैलाना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की भाग संख्या 100 की मतदाता सूची के क्रम संख्या 467 पर है। महावीर सिंह शर्मा ने 3 फरवरी 2000 को दोपहर 2.25 बजे नामांकन पत्र दाखिल किया। रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष. उनका नाम यग दत्त,

रविंदर, कृष्ण चंद और अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित किया गया था जो उस निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता हैं। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में महावीर सिंह शर्मा द्वारा दाखिल किए गए नामांकन पत्र की प्रमाणित प्रति अनुबंध पी-3 के रूप में संलग्न है और उसकी सही अनुवादित प्रति अनुबंध पी-3/टी के रूप में संलग्न है। महावीर सिंह शर्मा द्वारा प्रस्तुत शपथ प्रपत्र अनुबंध पी के रूप में संलग्न है। इस चुनाव याचिका में -4 और उसकी सही अनुवादित प्रति इस चुनाव याचिका में अनुलग्नक पी-4/टी के रूप में संलग्न है। आरोप है कि श्री दयानन्द ने शपथ नहीं ली है/सदस्यता नहीं ली है तथा उनके शपथ प्रपत्र का विवरण मात्र कागजी लेनदेन है। दया नंद के शपथ प्रपत्र से यह पता चलता है कि उन्होंने न तो भगवान के नाम पर और न ही गंभीर प्रतिज्ञान पर शपथ ली है क्योंकि इनमें से एक भी विकल्प का स्कोर नहीं किया गया है। कोई भी उम्मीदवार या तो शपथ ले सकता है या प्रतिज्ञान पर हस्ताक्षर कर सकता है। वह शपथ और प्रतिज्ञान एक साथ नहीं कर सकता और न ही उस पर हस्ताक्षर कर सकता है। दया नंद द्वारा ली गई शपथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 173 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। इस प्रकार, श्री दया नंद 40-कैलाना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से हरियाणा विधानसभा की सीट भरने के लिए चुने जाने के योग्य नहीं थे। श्री दया नंद ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 173 के तहत आवश्यक शपथ नहीं ली। उनके द्वारा ली गई/सदस्यता ली गई शपथ कानून की नजर में कोई शपथ नहीं थी क्योंकि यह भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची में इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रारूप के अनुरूप नहीं है। जहां तक महावीर सिंह शर्मा प्रतिवादी संख्या 5 का सवाल है, उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष कोई शपथ नहीं ली, इस प्रकार, वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 173 के तहत सीट भरने के लिए चुने जाने के लिए योग्य नहीं थे। हरियाणा विधानसभा 40-कैलाना विधानसभा क्षेत्र से। 4 फरवरी, 2000 को नामांकन पत्रों की जांच के समय याचिकाकर्ता का चुनाव एजेंट सतबीर सिंह मौजूद था। उन्होंने एसडीओ (सिविल), गन्नौर को बताया कि श्री दया नंद और श्री महोबीर

सिंह शर्मा द्वारा दाखिल नामांकन पत्र सही नहीं थे और उन्हें रिटर्निंग अधिकारी द्वारा गलत तरीके से स्वीकार कर लिया गया था। उन्हें वैसे ही खारिज कर दिया जाना चाहिए था वेद सिंह यू. जीतेन्द्र सिंह एवं अन्य (एम.एल. सिंघल, जे.)

40-कैलाना निर्वाचन क्षेत्र से. दया नंद और महावीर सिंह शर्मा उत्तरदाताओं के नामांकन पत्रों की अनुचित स्वीकृति के कारण, निर्वाचित उम्मीदवार यानी जितेंद्र सिंह का चुनाव भौतिक रूप से प्रभावित हुआ। इस चुनाव याचिका में आरोप लगाया गया है कि वह (याचिकाकर्ता) 740 वोटों के मामूली अंतर से हार गये थे. दया नंद को 953 और महाबीर सिंह शर्मा को 1035 वोट मिले. उन्हें मिले 1988 वोट उनके पक्ष में गए क्योंकि वह इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार थे। यदि दया नंद को चुनाव मैदान से बाहर कर दिया गया होता, तो उन्हें मिले 953 वोट याचिकाकर्ता को मिलते, क्योंकि गांव पुरखास राठी इंडियन नेशनल लोकदल का गढ़ था, जबकि याचिकाकर्ता इंडियन नेशनल लोकदल द्वारा खड़ा किया गया उम्मीदवार था। . इसी प्रकार, यदि महावीर सिंह शर्मा का नामांकन पत्र खारिज होने पर उन्हें चुनाव मैदान से बाहर कर दिया जाता तो उन्हें 1,035 वोट मिलते, क्योंकि महावीर सिंह शर्मा इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता थे। उन्होंने विद्रोह का बैनर खड़ा किया, खुद को "स्वतंत्र उम्मीदवार" के रूप में खड़ा किया। खुद को एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में खड़ा करके, उन्होंने याचिकाकर्ता की जीत की संभावनाओं को खराब कर दिया, जो इंडियन नेशनल लोक दल द्वारा खड़ा किया गया उम्मीदवार था। महावीर सिंह शर्मा को मिले वोट याचिकाकर्ता को मिले होंगे।

(5) प्रतिवादी जीतेंद्र सिंह, जो वापस लौटे उम्मीदवार हैं, ने इस याचिका का विरोध करते हुए आग्रह किया कि हरियाणा विधानसभा के लिए उनके चुनाव को केवल अधिनियम की धारा 100(1) और धारा 101 में उल्लिखित आधार पर चुनौती दी जा सकती है। जिस आधार पर उन्होंने अपने चुनाव को चुनौती दी है वह अधिनियम की धारा 100(1) और धारा 101 के किसी भी प्रावधान के अंतर्गत नहीं आता है। चुनाव याचिका में उन सभी भौतिक तथ्यों का अभाव है जिन्हें अधिनियम की धारा 83 के साथ पठित धारा 81 के तहत आवश्यक रूप से पेश किया जाना आवश्यक है। चुनाव याचिका, जैसा कि तैयार किया गया है, कार्रवाई का कोई कारण नहीं बताती है और इस प्रकार आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के साथ पठित अधिनियम की धारा 86 के तहत खारिज की जा सकती है। चुनाव याचिका में अधिनियम की धारा 83 के तहत आवश्यक भौतिक तथ्यों का संक्षिप्त विवरण नहीं है, इसलिए चुनाव याचिका खारिज किए जाने योग्य है। इस बात से इनकार किया गया कि दया नंद द्वारा ली गई शपथ भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची में निर्धारित शपथ प्रपत्र के अनुरूप नहीं थी। उनके द्वारा ली गई/सदस्यता ली गई शपथ भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची में निर्धारित शपथ प्रपत्र के अनुरूप है। इस बात का खंडन किया गया कि महावीर सिंह शर्मा ने शपथ ली ही नहीं/सदस्यता ली ही नहीं। नामांकन पत्रों की जांच के समय आपत्ति जतायी गयी ।

दया नंद द्वारा ली गई शपथ अनुचित थी और महावीर सिंह शर्मा ने कोई शपथ नहीं ली थी। जब महावीर सिंह शर्मा ने रिटर्निंग अधिकारी सर्वश्री बालिस्टर कुमार त्यागी के समक्ष शपथ ली तो छत्तर सिंह, चांद राम आदि उपस्थित थे। इसी तरह जब दया नंद को शपथ दिलाई गई तो बाबू राम त्यागी, इंदर सिंह आदि मौजूद थे। उनके नामांकन पत्र बिल्कुल दुरुस्त थे. इस बात से इनकार किया गया कि उन्हें रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अनुचित तरीके से स्वीकार किया गया था। चुनाव

याचिका में यह खुलासा नहीं किया गया है कि किसी भी उम्मीदवार के नामांकन पत्र के संबंध में रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष क्या आपत्ति उठाई गई थी और किसके द्वारा आपत्तियां उठाई गई थीं और इस प्रकार प्रकथन अस्पष्ट, अनावश्यक और तुच्छ हैं और इन्हें रद्द किया जा सकता है। आदेश 6 नियम 16 सीपीसी में परिकल्पित के अनुसार दलीलों से बाहर। आग्रह किया गया कि इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व पहले उनके पिता चौधरी ने कई बार किया था। राजेंद्र सिंह मलिक का यूं तो गांव पुरखास राठी समेत इस इलाके में उनका (लौटे प्रत्याशी) काफी प्रभाव था. इतना ही नहीं चौ. लहरी सिंह, जो कि निर्वाचित उम्मीदवार के दादा के सगे भाई थे, ने भी इस निर्वाचन क्षेत्र का कई बार प्रतिनिधित्व किया था और इस कारण पुरखास राठी गांव में उनका काफी प्रभाव था और निर्वाचित उम्मीदवार की पिछली राजनीतिक पृष्ठभूमि के कारण उनका दबदबा था। चुनाव याचिकाकर्ता की तुलना में इस गांव सहित इस क्षेत्र में प्रभाव। पुरखास राठी का यह गांव निवर्तमान प्रत्याशी के गांव के पास है और इस गांव में उनका प्रभाव था.

(6) प्रतिवादी संख्या 5 महावीर सिंह शर्मा ने इस चुनाव याचिका पर लिखित बयान दायर किया जहां उन्होंने याचिकाकर्ता के कथनों का समर्थन किया। यह कहा गया था कि यदि उन्होंने (प्रतिवादी संख्या 5) चुनाव नहीं लड़ा होता, तो उनके पक्ष में पड़े वोट याचिकाकर्ता के पक्ष में पड़ जाते। उस स्थिति में याचिकाकर्ता निर्वाचित हो सकता था. आग्रह किया गया कि वे निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष नामांकन प्रपत्र प्रस्तुत करें. अन्य प्रत्याशियों के समर्थकों की भीड़ के कारण उन्होंने प्रपत्र लिपिक को सौंप दिया और उस पर निर्वाची पदाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे. रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष शपथ न लेना महज एक अनियमितता थी और इससे अयोग्यता नहीं होती। प्रतिवादी संख्या 4 निर्मला रानी ने लिखित बयान दिया जिसके माध्यम से उन्होंने चुनाव याचिकाकर्ता की बात का समर्थन भी किया। यह आग्रह किया गया कि प्रतिवादी नंबर 5 इंडियन नेशनल लोकदल का

कार्यकर्ता था और उसने नामांकन पत्र दाखिल किया था जब इंडियन नेशनल लोकदल ने निर्दलीय प्रत्याशी को आवंटन नहीं किया था उसे टिकट. यदि प्रतिवादी संख्या 5 ने चुनाव नहीं लड़ा होता, तो लगभग उनके पक्ष में पड़े सभी वोट याचिकाकर्ता के पक्ष में पड़ गए होंगे। इसी तरह, यदि दया नंद ने चुनाव नहीं लड़ा होता, तो उन्हें मिले वोट याचिकाकर्ता को मिल जाते। दया नंद, प्रतिवादी नंबर 2 ने लिखित बयान दायर किया जिसके माध्यम से यह आग्रह किया गया कि उन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 173(1) के तहत परिकल्पित शपथ ली/सदस्यता ली। उनके द्वारा ली गई/सदस्यता ली गई शपथ भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची में निर्धारित शपथ प्रपत्र के अनुरूप थी। उन्होंने "सत्यनिष्ठपूर्वाक आंशिक कर्ता हूं" कहकर गंभीर प्रतिज्ञा की। रिटर्निंग ऑफिसर ने उन्हें शपथ दिलाने के बाद उनके नामांकन पत्र को फाड़कर रसीद जारी कर दी, यह इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने अपना नामांकन पत्र जमा कर दिया था और उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 173 के तहत आवश्यक रूप से शपथ दिलाई गई थी। जब वे रिटर्निंग ऑफिसर के सामने शपथ ले रहे थे तो इस बात पर कोई आपत्ति नहीं की गई कि उनके द्वारा ली गई शपथ में क्या खामी है. उनके नामांकन पत्र को रिटर्निंग ऑफिसर ने 4 फरवरी, 2000 को सही तरीके से स्वीकार कर लिया था। यह आरोप लगाया गया था कि यह उनकी समझ से परे था कि यदि उनके द्वारा डाला गया नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया था तो चुनाव याचिकाकर्ता को उनके पक्ष में वोट कैसे मिले होंगे। . मतदाताओं की अपनी पसंद है. चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए दावे काल्पनिक हैं। यहां तक कि वह (प्रतिवादी नंबर 2) भी यह कह सकता है कि यदि याचिकाकर्ता का नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया होता, तो उसे याचिकाकर्ता के पक्ष में पड़े सभी वोट मिल जाते।

(7) पार्टियों की दलील पर, निम्नलिखित प्रारंभिक मुद्दे तैयार किए गए:-

(1) क्या चुनाव याचिका में उन भौतिक तथ्यों और विवरणों का अभाव है जो धारा 100 (1) (डी) के साथ पढ़ी गई धारा 81 और 83 के अर्थ के भीतर प्रतिवादी नंबर 1 के चुनाव को रद्द करने के लिए कार्रवाई का पूरा कारण बनाने के लिए आवश्यक हैं। i) जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का?

(2) क्या चुनाव याचिका के पैरा संख्या 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 और 17 में दिए गए कथन अनावश्यक, तुच्छ और खुलासा न करने वाले होने के कारण हटाए जाने योग्य हैं कार्रवाई का कारण?

(3)चुनाव याचिका का सत्यापन है या नहीं कानून के अनुसार और यदि नहीं. इसका प्रभाव क्या है?

(4) क्या चुनाव याचिका में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 100 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई आधार शामिल है जिस पर चुनाव पर सवाल उठाया जा सकता है और यदि नहीं, तो इसका क्या प्रभाव होगा? ओपीआर1

योग्यता के आधार पर:

(1) क्या 40-कैलाना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से हरियाणा विधान सभा के लिए प्रतिवादी नंबर 1 का चुनाव नामांकन पत्रों की गलत स्वीकृति के कारण भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है और रद्द किया जा सकता है? ऑप

(2) क्या श्री प्यारे लाल के पुत्र श्री दया नंद का नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अनुचित तरीके से स्वीकार किया गया था, यदि हां, तो किस प्रभाव से? ऑप

(3) क्या श्री महावीर सिंह शर्मा पुत्र श्री कमल सिंह का नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अनुचित तरीके से स्वीकार किया गया था, यदि हां, तो किस प्रभाव से? ऑप

(4) क्या याचिकाकर्ता 40-कैलाना विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से हरियाणा विधान सभा के लिए निर्वाचित घोषित होने का हकदार है? ऑप

(5) राहत.

(8) चूंकि प्रारंभिक मुद्दे कानून के मुद्दे हैं, मैं पहले प्रारंभिक मुद्दों का निपटान करने का प्रस्ताव करता हूं। मैंने प्रारंभिक मुद्दों पर पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है और रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

(9) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता को 34,913 वोट मिले, जबकि प्रतिवादी नंबर 1 (लौटे हुए उम्मीदवार) को 35,653 वोट मिले। प्रतिवादी क्रमांक 1 को 740 मतों के अंतर से निर्वाचित घोषित किया गया। दया नंद प्रतिवादी संख्या 2 और महावीर सिंह शर्मा प्रतिवादी संख्या 5 के नामांकन पत्रों की अनुचित स्वीकृति के कारण प्रतिवादी संख्या 1 विजयी हुई। दया नंद और महाबीर सिंह शर्मा को शपथ का उचित प्रशासन नहीं था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 173 में कहा गया है कि कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधायिका में सीट भरने के लिए चुने जाने के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि वह- (ए) भारत का नागरिक न हो, और तीसरी अनुसूची में इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान पर चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष सदस्यता लेता है: (बी) विधान सभा में सीट के मामले में, कम से कम नहीं पच्चीस वर्ष की आयु, और विधान परिषद में सीट के मामले में, तीस वर्ष से कम आयु नहीं; और (सी) ऐसी अन्य योग्यताएं रखता है जो संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत या उसके तहत निर्धारित की जा सकती हैं।

(10) यह प्रस्तुत किया गया कि जब तक वे भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची में इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान पर चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष हस्ताक्षर नहीं कर लेते, तब तक वे ऐसा नहीं कर सकते। कहा जाता है कि वे हरियाणा विधान सभा में सीट भरने के लिए चुने जाने के योग्य हैं। भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची में, किसी राज्य की विधायिका के लिए चुनाव के लिए उम्मीदवार द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का रूप निम्नलिखित है:-

"मैं, ए.बी., विधान सभा (या विधान परिषद) में एक सीट भरने के लिए एक उम्मीदवार के रूप में नामांकित किया गया हूं, भगवान के नाम पर शपथ लेता हूं/गंभीरता से पुष्टि करता हूं कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखूंगा। कानून स्थापित हो गया है और मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को बरकरार रखूंगा।"

(11) यह प्रस्तुत किया गया था कि उसे या तो भगवान के नाम पर शपथ लेने की आवश्यकता थी या उसे गंभीरता से पुष्टि करने की आवश्यकता थी कि वह कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेगा और वह संप्रभुता को बनाए रखेगा और भारत की अखंडता. यह प्रस्तुत किया गया कि दया नंद ने उचित शपथ नहीं ली और हस्ताक्षर नहीं किए, वह या तो भगवान के नाम पर या प्रतिज्ञान के नाम पर शपथ ले सकते थे और हस्ताक्षर कर सकते थे। वह शपथ और प्रतिज्ञान एक साथ नहीं बना सकते थे और न ही उन पर हस्ताक्षर कर सकते थे। यह प्रस्तुत किया गया कि दोपहर 2.50 बजे रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष शपथ लेते समय। 2 फरवरी, 2000 को उन्होंने निम्नलिखित शपथ ली:- "मैं, दया नंद, विधान सभा (या विधान परिषद) में एक सीट भरने के लिए एक उम्मीदवार के रूप में नामांकित किया गया हूं। ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूं/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा, " जो उचित शपथ नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया कि उन्हें या तो भगवान के नाम पर शपथ लेनी चाहिए थी या गंभीरता से पुष्टि करनी चाहिए थी। शपथ रूप में अनुलग्नक पी-2 या तो शब्द "ईश्वर के नाम पर शपथ लेते हैं" मिटा दिया जाना चाहिए था या

"सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान" शब्द मिटा दिया जाना चाहिए था। यह या तो शपथ या गंभीर प्रतिज्ञान होना चाहिए था। यह शपथ और गंभीर प्रतिज्ञान दोनों नहीं हो सकता। यह प्रस्तुत किया गया कि दया नंद को शपथ दिलाते समय, रिटर्निंग अधिकारी को यह स्पष्ट करना चाहिए था कि या तो उन्होंने शपथ ली है या उन्होंने शपथपूर्वक शपथ ली है। यह प्रस्तुत किया गया था कि दया नंद को उचित शपथ या गंभीर प्रतिज्ञान नहीं दिलाई गई थी, इसलिए वह हरियाणा विधान सभा के चुनाव में उम्मीदवार नहीं हो सकते थे। यदि उन्हें प्रतियोगिता के मैदान से बाहर कर दिया गया होता, तो उन्हें मिले वोट याचिकाकर्ता को मिलते क्योंकि दया नंद एक जाट हैं और पुरखास राठी गांव के निवासी हैं। गांव पुरखास राठी इंडियन नेशनल लोकदल का गढ़ था। पिछले चुनाव में भी गांव पुरखास राठी से अधिकांश वोट इंडियन नेशनल लोकदल (तत्कालीन समता पार्टी) के उम्मीदवार के पक्ष में मिले थे। निर्वाचन क्षेत्र के अन्य हिस्सों में दया नंद के पक्ष में पड़े अधिकांश वोट याचिकाकर्ता के पक्ष में पड़े होंगे। याचिका में कहा गया कि दया नंद ने बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया. यदि उनके द्वारा अनुचित शपथ लेने के कारण उनका नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया था, तो दया नंद को मिले सभी वोट याचिकाकर्ता को मिल गए होते क्योंकि वह हरियाणा के चुनाव के लिए इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर उम्मीदवार थे। विधान सभा। यह अनुमान लगाया गया कि दया नंद द्वारा भरा गया शपथ या प्रतिज्ञान का फॉर्म एक अन्य कारण से भी खराब था, वह यह कि इस फॉर्म को भरते समय उन्होंने यह नहीं बताया था कि वह विधान सभा या विधान परिषद में सीट भरने के लिए उम्मीदवार हैं या नहीं। उन्हें "या विधान परिषद" शब्द मिटा देना चाहिए था। उन्हें विधान सभा शब्द बरकरार रखना चाहिए था.

(12) यह प्रस्तुत किया गया कि रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रतिवादी संख्या 5, महावीर सिंह शर्मा को कोई शपथ नहीं दिलाई गई, इस प्रकार, वह हरियाणा विधान सभा के लिए चुने जाने के लिए योग्य नहीं थे। यह प्रस्तुत किया गया कि महावीर सिंह शर्मा को दिलाई गई शपथ पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। यदि उन्हें कोई शपथ दिलाई गई होती तो रिटर्निंग अधिकारी ने शपथ या प्रतिज्ञान प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर दिए होते। यह प्रस्तुत किया गया था कि कथित तौर पर महावीर सिंह शर्म्स द्वारा भरा गया शपथ या प्रतिज्ञान का फॉर्म यह नहीं दर्शाता है कि उन्होंने शपथ ली थी या नहीं। भगवान का नाम या क्या उसने सत्यनिष्ठा से इसकी पुष्टि की है। कोई मिटाना नहीं है इनमें से कोई भी शब्द या तो "भगवान के नाम पर शपथ लेता है" या "गंभीरता से।" प्रतिज्ञान"। वह भगवान के नाम पर शपथ नहीं ले सकता था और गंभीरता से प्रतिज्ञान भी नहीं कर सकता था। यह प्रस्तुत किया गया था कि कथित तौर पर महावीर सिंह शर्मा द्वारा भरा गया शपथ या प्रतिज्ञान का फॉर्म उनके द्वारा भरा गया हो सकता है लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया था रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उसे। यदि रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उसे पढ़ा गया होता, तो रिटर्निंग ऑफिसर ने यह सुनिश्चित किया होता कि या तो उसने भगवान के नाम पर शपथ ली है या गंभीरता से पुष्टि की है। इसके अलावा, उसने अपने हस्ताक्षर भी किए होंगे शपथ या प्रतिज्ञान का रूप। यह प्रस्तुत किया गया कि महावीर सिंह शर्मा हरियाणा विधान सभा के चुनाव के लिए उम्मीदवार नहीं हो सकते क्योंकि उन्होंने कोई शपथ नहीं ली है। उचित शपथ लिए बिना, उन्हें योग्य नहीं कहा जा सकता हरियाणा विधान सभा में एक सीट भरने के लिए चुना जाए। यह प्रस्तुत किया गया कि महावीर सिंह शर्मा इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता थे। वह इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार के रूप में हरियाणा विधान सभा में चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिए जाने के इच्छुक थे। जब इंडियन नेशनल लोकदल ने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने विद्रोह कर दिया और "स्वतंत्र उम्मीदवार" के रूप में अपना नामांकन पत्र भर दिया। निर्दलीय उम्मीदवार

के तौर पर उन्हें 1,035 वोट मिले. यह प्रस्तुत किया गया था कि एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में, उन्हें मिले वोट याचिकाकर्ता के पक्ष में गए होंगे क्योंकि वह इंडियन नेशनल लोक दल द्वारा खड़ा किया गया उम्मीदवार था। यह प्रस्तुत किया गया कि महावीर सिंह शर्मा को मिले वोटों से उन्हें (वेद सिंह) को गंभीर नुकसान हुआ। महाबीर सिंह शर्मा को मिले सारे वोट उनकी झोली में आ गए होंगे।

(13) अब सवाल यह उठता है कि "दया नंद और महावीर सिंह शर्मा को उचित शपथ दिलाई गई थी या नहीं"। जहां तक दया नंद का सवाल है, उन्होंने दोपहर 2.45 बजे शपथ या प्रतिज्ञान का फॉर्म भरा। उन्होंने अपराह्न 2.45 बजे रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र जमा किया। 2 फरवरी 2000 को दोपहर 2.50 बजे रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष शपथ ली और हस्ताक्षर किए। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 173 के तहत आवश्यक उचित शपथ ली। यह प्रस्तुत किया गया कि रिटर्निंग अधिकारी ने हरियाणा विधानसभा के 40-कैलाना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र जमा करने और जमा करने के बाद उम्मीदवारों द्वारा शपथ लेने सहित चुनाव प्रक्रिया की वीडियो फिल्म बनाने की भी व्यवस्था की थी। चुनाव में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उनके नामांकन पत्र प्रक्रिया, भविष्य में प्रस्तुत करने के संबंध में किसी भी विवाद से बचने के लिए अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन पत्र एवं शपथ ग्रहण। यह रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पूरे दिन यानी 1 फरवरी, 2000 से 3 फरवरी, 2000 के बीच उस समय की व्यवस्था की गई थी जो उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए था। जब रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दया नंद, श्री बाबू राम त्यागी, पुत्र श्री चरण सिंह, निवासी गांव शापुर त्यागी, तहसील गन्नौर, इंदर सिंह पुत्र श्री भाई राम, निवासी गांव तेवड़ी, तहसील गन्नौर को शपथ दिलाई गई। , जगदेव सिंह पुत्र श्री गिरधाला निवासी ग्राम अगवानपुर, तहसील गन्नौर, इंदर सिंह खोखर

पुत्र श्री मंगत राम निवासी ग्राम ताजपुर और कुछ अन्य लोग भी उपस्थित थे। बताया गया कि महावीर सिंह शर्मा ने दोपहर 2.25 बजे अपना नामांकन पत्र जमा किया। 3 फरवरी, 2000 को हरियाणा विधानसभा के 40-कैलाना विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष। उन्होंने दोपहर 2.32 बजे शपथ ली. 3 फरवरी, 2000 को भगवान के नाम पर। उन्होंने दोपहर 2.25 बजे अपना नामांकन पत्र दाखिल किया. 3 फरवरी, 2000 को और उसके बाद, उन्हें दोपहर 2.32 बजे रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा शपथ दिलाई गई। जो उसने भगवान के नाम पर लिया था. जब महावीर सिंह शर्मा ने रिटर्निंग अधिकारी श्री बालिस्टर कुमार त्यागी पुत्र श्री बलजीत सिंह त्यागी, निवासी मकान नंबर 39, सेक्टर 15, सोनीपत, छत्तर सिंह पुत्र होशियार सिंह निवासी गांव बुलंदपुर खेड़ी, तहसील गन्नौर के समक्ष शपथ ली। श्री बाजू राम के पुत्र चंद राम। पूर्व सरपंच गांव शेखपुरा, हवा सिंह पुत्र श्री सूरत सिंह निवासी गांव शेखपुरा, गुरेंदर पुत्र श्री करण सिंह निवासी गांव खुबरू, तहसील गन्नौर और कुछ अन्य भी उपस्थित थे। यह प्रस्तुत किया गया कि रिटर्निंग अधिकारी को यह सुनिश्चित करना था कि वह उम्मीदवार को शपथ दिलाने के प्रतीक के रूप में अपने हस्ताक्षर करें। यदि रिटर्निंग अधिकारी महावीर सिंह शर्मा से संबंधित शपथ या प्रतिज्ञान के प्रपत्र पर अपने हस्ताक्षर करने में अपने कर्तव्य में विफल रहा, तो महावीर सिंह शर्मा दोषी नहीं थे। यह प्रस्तुत किया गया कि नामांकन पत्रों की जांच के समय उम्मीदवार को यह बताना रिटर्निंग ऑफिसर का कर्तव्य था कि क्या वह भगवान के नाम पर शपथ ले रहा था या वह पूरी तरह से पुष्टि कर रहा था। उसे या तो "ईश्वर के नाम पर शपथ" या "सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान" शब्दों को मिटा देना था। यह प्रस्तुत किया गया कि रिटर्निंग अधिकारी की ओर से लापरवाही से दया नंद और महावीर सिंह शर्मा की उम्मीदवारी की वैधता पर असर नहीं पड़ना चाहिए।

(14) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया कि दया नंद और महाबीर सिंह शर्मा के नामांकन पत्रों की अनुचित स्वीकृति के कारण, उनकी चुनाव संभावनाओं पर प्रतिकूल

प्रभाव पड़ा क्योंकि पुरखास राठी गांव इंडियन नेशनल लोकदल का गढ़ है और अगर दया नंद को चुनाव मैदान से बाहर कर दिया जाता तो दया नंद को मिले वोट उनके पक्ष में जाते क्योंकि वह एक जाट और पदाधिकारी हैं! इंडियन नेशनल लोकदल द्वारा खड़ा किया गया उम्मीदवार. इसी तरह महावीर सिंह शर्मा इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता थे. यदि उन्हें प्रतियोगिता के मैदान से बाहर कर दिया गया होता, तो उन्हें मिले वोट याचिकाकर्ता को मिलते।

(15) प्रतिवादी नंबर 1 के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि पहली बार में, अदालत के पास यह मानने का कोई अवसर नहीं है कि दया नंद और महावीर सिंह शर्मा के नामांकन पत्र अनुचित तरीके से स्वीकार किए गए थे और उन्हें खारिज कर दिया जाना चाहिए था और बाहर कर दिया जाना चाहिए था। चुनाव मैदान का. दया नंद ने निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष विधिवत शपथ ली थी. भारत के संविधान के अनुच्छेद 173 के तहत शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप उन्हें पढ़कर सुनाया गया और उन्होंने शपथ लेने के तथ्य के प्रतीक के रूप में अपने हस्ताक्षर किए। स्क्रूटनी के समय रिटर्निंग ऑफिसर को दया नंद से पूछना था कि क्या वह भगवान के नाम पर शपथ ले रहे थे या वह गंभीरता से पुष्टि कर रहे थे और उसके बाद शपथ के रूप में मिटाना या "शपथ लें" शब्दों में पुष्टि करना उनका काम था। भगवान के नाम पर" या "सत्यनिष्ठा से पुष्टि"। अन्यथा भी, मुझे नहीं लगता कि शपथ या प्रतिज्ञान का रूप अमान्य हो जाएगा यदि यह मिटाया नहीं गया है और उसने ईश्वर के नाम पर शपथ ली है/सत्यनिष्ठा से पुष्टि की है। जहां तक महावीर सिंह शर्मा का संबंध है, मेरी राय है कि स्क्रूटनी के समय शपथ या प्रतिज्ञान के फॉर्म पर अपने हस्ताक्षर करना रिटर्निंग ऑफिसर का काम था। अपने कर्तव्य के पालन में रिटर्निंग अधिकारी की ओर से किसी भी उल्लंघन का असर उम्मीदवार पर नहीं पड़ने दिया जा सकता। प्रतिवादी नंबर 1 के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि यह मानते हुए कि दया नंद और महावीर सिंह

शर्मा को शपथ का उचित प्रशासन नहीं हुआ था और उनके नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अनुचित तरीके से स्वीकार किए गए थे, किसी भी प्रस्तावक द्वारा ऐसी कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी। /उम्मीदवारों के चुनाव एजेंट। यदि ऐसी कोई आपत्ति होती तो रिटर्निंग अधिकारी उस आपत्ति का निर्णय कर देते। यह प्रस्तुत किया गया कि चुनाव याचिका अस्पष्ट है क्योंकि यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया कि दया नंद और महावीर सिंह शर्मा के नामांकन पत्र क्यों खारिज कर दिये जाने चाहिए थे। और आगे क्या ऐसी कोई आपत्ति पहले उठाई गई थी रिटर्निंग अधिकारी जब इन नामांकन पत्रों को स्वीकार करने के लिए आगे बढ़े यह प्रस्तुत किया गया कि यह चुनाव याचिका अस्पष्टता की बुराई से ग्रस्त है.। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 36 इस प्रकार बताती है:-

36. नामांकन की जांच-(1) धारा 30 के तहत नामांकन की जांच के लिए निर्धारित तिथि पर, उम्मीदवार, उनके चुनाव एजेंट, प्रत्येक उम्मीदवार का एक प्रस्तावक, और प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा विधिवत लिखित रूप से अधिकृत एक अन्य व्यक्ति, लेकिन कोई अन्य नहीं व्यक्ति, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्धारित समय और स्थान पर उपस्थित हो सकता है; और रिटर्निंग अधिकारी उन्हें सभी उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच करने के लिए सभी उचित सुविधाएं देगा जो समय के भीतर और धारा 33 में निर्धारित तरीके से वितरित किए गए हैं।

(2) रिटर्निंग अधिकारी तब नामांकन पत्रों की जांच करेगा और किसी भी नामांकन पर की गई सभी आपत्तियों पर निर्णय लेगा और या तो ऐसी आपत्ति पर या अपने स्वयं के प्रस्ताव पर, ऐसी

संक्षिप्त जांच के बाद, यदि कोई हो, जैसा वह आवश्यक समझे, कर सकता है। निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर किसी भी नामांकन को अस्वीकार करें:

(ए) कि नामांकन की जांच के लिए निर्धारित तिथि पर उम्मीदवार निम्नलिखित प्रावधानों में से किसी के तहत सीट भरने के लिए चुने जाने के लिए या तो योग्य नहीं है या अयोग्य है, अर्थात्: - अनुच्छेद 84, 102, 173 और 191;

(बी) कि धारा 33 या धारा 34 के किसी भी प्रावधान का अनुपालन करने में विफलता हुई है; या

(सी) कि नामांकन पत्र पर उम्मीदवार या प्रस्तावक के हस्ताक्षर असली नहीं हैं।

(3) उप-धारा (2) के खंड (बी) या खंड (सी) में निहित किसी भी बात को नामांकन पत्र के संबंध में किसी भी अनियमितता के आधार पर किसी भी उम्मीदवार के नामांकन को अस्वीकार करने के लिए अधिकृत नहीं माना जाएगा, यदि अभ्यर्थी को किसी अन्य नामांकन पत्र के माध्यम से विधिवत नामांकित किया गया है जिसके संबंध में कोई अनियमितता नहीं की गई है।

(4) रिटर्निंग अधिकारी किसी भी दोष के आधार पर किसी भी नामांकन पत्र को अस्वीकार नहीं करेगा जो पर्याप्त चरित्र का नहीं है।

(5) से (8) xxxx xxxxx

(16) यह प्रस्तुत किया गया था कि यदि नामांकन की वैधता के खिलाफ कोई आपत्ति उठाई गई थी, तो रिटर्निंग अधिकारी ने लिखित आदेश के माध्यम से इसे स्वीकार कर लिया होगा या खारिज कर दिया होगा।

(17) यह प्रस्तुत किया गया कि चुनाव को शून्य घोषित करने के लिए चुनाव याचिका में केवल उन आधारों की वकालत की जा सकती है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 100 में निर्धारित किए गए हैं। धारा 100 इस प्रकार बताती है

100. चुनाव को शून्य घोषित करने का आधार.-(1) उपधारा (2) के प्रावधानों के अधीन, यदि उच्च न्यायालय की राय है--

(ए) कि अपने चुनाव की तारीख पर एक लौटा हुआ उम्मीदवार सीट भरने के लिए चुने जाने के लिए योग्य नहीं था, या अयोग्य था, जब तक कि संविधान या इस अधिनियम या केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम, 1963 (1963 का 20) के अनुसार नहीं; या

(बी) कि कोई भ्रष्ट आचरण किसी निर्वाचित उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निर्वाचित उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट की सहमति से किया गया है: या

(सी) कि किसी भी नामांकन को अनुचित तरीके से खारिज कर दिया गया है; या

(डी) कि चुनाव का परिणाम, जहां तक यह एक निर्वाचित उम्मीदवार की बात है, भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है-

(i) किसी भी नामांकन को अनुचित तरीके से स्वीकार करने से, या (ii) अपने चुनाव एजेंट के अलावा किसी अन्य एजेंट द्वारा निर्वाचित उम्मीदवार के हित में किए गए किसी भ्रष्ट आचरण द्वारा, या (iii) किसी भी नामांकन को अनुचित तरीके से स्वीकार करने, अस्वीकार करने या अस्वीकार करने से। वोट या किसी वोट की प्राप्ति जो शून्य है, या (iv) संविधान के प्रावधानों या इस अधिनियम या किसी भी नियम या किसी भी गैर-अनुपालन के कारण इस अधिनियम के तहत दिए गए आदेशों के अनुसार, उच्च न्यायालय निर्वाचित उम्मीदवार के चुनाव को शून्य घोषित कर देगा।

(2) यदि उच्च न्यायालय की राय में, किसी निर्वाचित उम्मीदवार को उसके चुनाव एजेंट के अलावा किसी अन्य एजेंट द्वारा किसी भ्रष्ट आचरण का दोषी ठहराया गया है, लेकिन उच्च न्यायालय संतुष्ट है-

(ए) कि ऐसा कोई भ्रष्ट आचरण नहीं किया गया था उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट द्वारा चुनाव, और ऐसा प्रत्येक भ्रष्ट आचरण इसके विपरीत किया गया था उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट के आदेश, और सहमति के बिना;

(बी) खंड (बी) 1958 के अधिनियम 58 द्वारा छोड़ा गया।

(सी) कि उम्मीदवार और उसका चुनाव एजेंट चुनाव में भ्रष्ट आचरण को रोकने के लिए सभी उचित साधन अपनाते हैं; और

(डी) कि अन्य सभी मामलों में चुनाव उम्मीदवार या उसके किसी एजेंट की ओर से किसी भी भ्रष्ट आचरण से मुक्त था, तो उच्च न्यायालय यह निर्णय ले सकता है कि निर्वाचित उम्मीदवार का चुनाव शून्य नहीं है।

(18) यह दलील दी गई है कि जहां तक चुनाव के नतीजे का सवाल है तो किसी भी नामांकन की अनुचित स्वीकृति से लौटाया गया उम्मीदवार भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है, लेकिन यह दलील अस्पष्ट है। यह प्रस्तुत किया गया कि अधिनियम की धारा 83 के अनुसार, एक चुनाव याचिका में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए-

83. याचिका की विषय-वस्तु-(1) एक चुनाव याचिका-

(ए) इसमें उन भौतिक तथ्यों का संक्षिप्त विवरण होना चाहिए जिन पर याचिकाकर्ता भरोसा करता है:

(बी) किसी भी भ्रष्ट आचरण का पूरा विवरण प्रस्तुत करेगा, जिस पर याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है, जिसमें ऐसे भ्रष्ट आचरण को अंजाम देने वाले कथित पक्षों के नाम और ऐसे प्रत्येक आचरण के कमीशन की तारीख और स्थान का यथासंभव पूरा विवरण शामिल होगा; और

(सी) याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और दलीलों के सत्यापन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में निर्धारित तरीके से सत्यापित किया जाएगा:

बशर्ते कि जहां याचिकाकर्ता किसी भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाता है, तो याचिका के साथ ऐसे भ्रष्ट आचरण के आरोप और उसके विवरण के समर्थन में निर्धारित प्रपत्र में एक हलफनामा भी संलग्न किया जाएगा।

(2) याचिका की किसी अनुसूची या परिशिष्ट पर भी याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और याचिका के समान तरीके से सत्यापित किए जाएंगे।

(19) यह प्रस्तुत किया गया कि यह आरोप अस्पष्ट है कि यदि दया नंद और महावीर सिंह शर्मा प्रतिवादी 2 और 5 को प्रतियोगिता के मैदान से बाहर कर दिया गया होता, तो उनके द्वारा प्राप्त

वोट उसे (याचिकाकर्ता) को मिलते, क्योंकि यह अस्पष्ट है। यह दलील नहीं दी गई है कि वे मतदाता कौन थे जिन्होंने दया नंद और महाबीर सिंह शर्मा के पक्ष में मतदान किया था, और इसके अलावा क्या उन्होंने याचिकाकर्ता के पक्ष में मतदान किया था या उनमें से कुछ ने याचिकाकर्ता के पक्ष में मतदान किया होगा।

(20) यह प्रस्तुत किया गया कि अधिनियम की धारा 83 के खंड (ए) के मद्देनजर, याचिकाकर्ता को उन सभी भौतिक तथ्यों को सामने रखना आवश्यक था, जिन पर वह रिटर्नर के चुनाव पर सवाल उठाने के लिए कार्रवाई का कारण बनने पर भरोसा कर रहा था। उम्मीदवार. यह प्रस्तुत किया गया था कि याचिकाकर्ता ने चुनाव याचिका में एक सामान्य बयान दिया था कि यदि दया नंद प्रतिवादी नंबर 2 को चुनाव के मैदान से बाहर कर दिया गया था, तो उसे मिले वोट उसे (याचिकाकर्ता) को मिले होंगे। उन्होंने यह कहीं नहीं बताया कि दया नंद को किस गांव में इतने वोट मिले और वे कौन से मतदाता हैं जिन्होंने उनके पक्ष में मतदान किया था और जिन्होंने उनके पक्ष में वोट डाले होंगे। गांव पुरखास राठी 40-कैलाना विधानसभा क्षेत्र का एकमात्र गांव नहीं है। इस विधानसभा क्षेत्र में और भी कई गांव शामिल हैं जहां जाट मतदाताओं का दबदबा है. यह प्रस्तुत किया गया कि यदि दया नंद जाट जाति से हैं, तो याचिकाकर्ता भी जाट जाति से हैं। इससे पहले इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व चौधरी ने कई बार किया था। राजेन्द्र सिंह मलिक जो कि जितेंदर सिंह मलिक प्रतिवादी नंबर 1 (लौटे हुए उम्मीदवार) के पिता थे। पुरखास राठी गांव सहित इस क्षेत्र में उनका (जितेंद्र सिंह मलिक (लौटे प्रत्याशी)) काफी प्रभाव था। चौ. लेहरी सिंह, जो जीतेन्द्र सिंह मलिक (वापस प्रत्याशी) के दादा के सगे भाई थे, ने भी कई बार इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था और इस तरह उनका पुरखास राठी गांव में काफी प्रभाव था। यह प्रस्तुत किया गया कि जीते हुए उम्मीदवार जितेंद्र सिंह मलिक का अपनी पिछली राजनीतिक पृष्ठभूमि

के कारण पुरखास राठी गांव में बहुत प्रभाव था। यह प्रस्तुत किया गया कि यह केवल याचिकाकर्ता की कल्पना थी कि यदि दया नंद प्रतिवादी नंबर 2 को प्रतियोगिता के मैदान से बाहर कर दिया गया होता, तो उसे मिले सभी वोट उसे ही मिलते। यह प्रस्तुत किया गया कि यह सच है कि ऐसे चुनावों में लोग पार्टी संबद्धता से बंधे होते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल की विचारधारा से जुड़े लोग इस पार्टी द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवार को वोट देंगे। इसी तरह, कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े लोग कांग्रेस द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवार को वोट देंगे। यह प्रस्तुत किया गया कि ऐसे लोग भी हैं जो किसी भी राजनीतिक विचारधारा से बंधे नहीं हो सकते। ऐसे लोग उस उम्मीदवार के पक्ष में वोट करते हैं जिसके बारे में उन्हें लगता है कि वह मेधावी है या अपनी सनक और कल्पना पर वोट करते हैं। कुछ वोटों के साथ उम्मीदवार के व्यक्तित्व का भी महत्व होता है। यह प्रस्तुत किया गया कि जितेंद्र सिंह चौधरी के समय से ही एक राजनीतिक परिवार से हैं। लेहरी सिंह और इस क्षेत्र पर इस परिवार का बहुत बड़ा ऋण है।

(21) यह प्रस्तुत किया गया कि यह फिर से एक अस्पष्ट और सामान्य आरोप था, अर्थात याचिकाकर्ता का दावा कि यदि महाबीर सिंह शर्मा प्रतिवादी संख्या 5 को साइटेस्ट के क्षेत्र से बाहर कर दिया गया होता, तो उसे महाबीर सिंह शर्मा को मिले सभी वोट मिल जाते। . इंडियन नेशनल लोकदल द्वारा आधिकारिक उम्मीदवार के रूप में पेश नहीं किए जाने के बाद महावीर सिंह शर्मा ने विद्रोह का बैनर लगाया और एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया; वह इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता हैं। यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता बिना किसी ठोस आधार के यह दावा कर रहा है कि महावीर सिंह शर्मा को मिले सभी वोट उसे ही मिले होंगे। उनका मानना है कि चूँकि महावीर सिंह शर्मा इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता हैं और यदि उन्हें चुनाव मैदान से बाहर कर दिया गया होता, तो प्रत्येक मतदाता, जिसने उनके पक्ष में

मतदान किया होता, याचिकाकर्ता के पक्ष में मतदान करता। केवल धारणा. यह प्रस्तुत किया गया कि यह एक अस्पष्ट आरोप था। कुछ मतदाताओं के साथ, जिनकी कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं थी, व्यक्तित्व कारक या जातिगत कारक भी तौला गया होगा। व्यक्तित्व कारक या जाति कारक को तौलने पर। उनमें से कुछ ने याचिकाकर्ता के पक्ष में वोट डाले होंगे और उनमें से कुछ ने महाबीर सिंह के पक्ष में वोट डाले होंगे शर्मा या कोई अन्य उम्मीदवार। यह प्रस्तुत किया गया कि यह काफी अस्पष्ट था कि महावीर सिंह शर्मा और दया नंद को मिले वोट याचिकाकर्ता को मिले होंगे। यह भी हो सकता है कि उन्हें मिले वोट जीते हुए उम्मीदवार सहित हर दूसरे उम्मीदवार को मिल गए हों। निर्वाचित उम्मीदवार के विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि जहां तक दलीलों का संबंध है, चुनाव याचिका को सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए। सीपीसी के आदेश 6 नियम 2 में कहा गया है:-

आदेश VI 2. भौतिक तथ्यों को बताने की दलील देना, सबूतों को नहीं (1) प्रत्येक दलील में केवल उन भौतिक तथ्यों का संक्षिप्त रूप में एक बयान शामिल होगा, जिस पर दलील देने वाले पक्ष ने अपने दावे या बचाव के लिए, जैसा भी मामला हो, भरोसा किया हो। , लेकिन वह सबूत नहीं जिससे उन्हें साबित किया जा सके।

(2) प्रत्येक दलील को, जब आवश्यक हो, पैराग्राफ में विभाजित किया जाएगा, लगातार क्रमांकित किया जाएगा, प्रत्येक आरोप, जहां तक सुविधाजनक हो, एक अलग पैराग्राफ में समाहित किया जाएगा।

(3) दिनांक, योग और संख्याओं को अंकों के साथ-साथ शब्दों में भी अभिव्यक्त किया जाएगा।

(22) **अज़हर हुसैन बनाम राजीव गांधी** [1]मामले में, (1) इसे इस प्रकार आयोजित किया गया था: -

"याचिका में कार्रवाई के पूरे कारण को शामिल करने के लिए आवश्यक सभी तथ्यों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए और एक भी महत्वपूर्ण तथ्य को प्रस्तुत करने में विफलता अधिनियम की धारा 83 (ए) के आदेश की अवज्ञा होगी। इसलिए, एक सादा याचिका , यदि यह ऐसे किसी दोष से ग्रस्त है तो इसे खारिज किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। एक चुनाव याचिका को सरसरी तौर पर खारिज किया जा सकता है यदि यह सीपीसी के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्रवाई का कारण प्रस्तुत नहीं करता है।"

(23) **राम सरूप बनाम पीर चंद एवं अन्य** [2](2) में इसे इस प्रकार रखा गया:-

"धारा 83 को अधिनियम की धारा 100 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। साबित करने के लिए आधारों की आवश्यकता हो सकती है कि वह संक्षिप्त तरीके से दिये जायें , हालाँकि, आधार को साबित

[1] AIR 1986 SC 1253
[2] AIR 1993 Pb. Hy. 180

करने के लिए आवश्यक सभी भौतिक तथ्य बताए जाने चाहिए और यदि ऐसे भौतिक तथ्यों में से एक भी गायब है, तो याचिका पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।"

(24) **मदन लाल अग्रवाल बनाम श्री राजीव गांधी** [3](3) मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने अधिनियम की धारा 81, 83, 86 और 87 पर आदेश VI नियम 16 सीपीसी के प्रभाव पर विचार किया और निम्नानुसार माना: -

पहला प्रश्न जो हमारे निर्धारण के लिए आता है वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय के पास प्रारंभिक चरण में आदेश VI नियम 16 सीपीसी के तहत दलीलों को खारिज करने का अधिकार क्षेत्र था, भले ही प्रतिवादी ने कोई लिखित बयान नहीं दिया था। धारा 80 में प्रावधान है कि उच्च न्यायालय के समक्ष अधिनियम के भाग VI के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई चुनाव याचिका को छोड़कर किसी भी चुनाव पर सवाल नहीं उठाया जाएगा। धारा 81 में प्रावधान है कि धारा 100 में निर्दिष्ट आधारों में से एक या अधिक पर एक चुनाव याचिका एक निर्वाचक द्वारा या एक निर्वाचित उम्मीदवार के चुनाव पर सवाल उठाने वाले उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है। धारा 83 में प्रावधान है कि एक चुनाव याचिका में उन भौतिक तथ्यों का संक्षिप्त विवरण होगा जिन पर याचिकाकर्ता भरोसा करता है।"

[3] AIR 1987 SC 1577

(25) एआईआर 1987 एस.सी. 1577 (सुप्रा) में यह माना गया था कि चूंकि संहिता के प्रावधान चुनाव याचिका के परीक्षण पर लागू होते हैं, आदेश VI नियम 16 और 17 एक चुनाव याचिका के परीक्षण से संबंधित कार्यवाही पर लागू होते हैं। अधिनियम के प्रावधान. एसएस के संयुक्त पढ़ने पर. अधिनियम के 81, 83, 86 और 87, यह स्पष्ट है कि याचिका के वे पैराग्राफ जो कार्रवाई के किसी भी कारण का खुलासा नहीं करते हैं, आदेश VI नियम 16 के तहत हटाए जाने योग्य हैं क्योंकि अदालत कार्यवाही के किसी भी चरण में सशक्त है। उन दलीलों को खारिज करना या हटाना जो अनावश्यक, निंदनीय, तुच्छ या कष्टप्रद हैं या जो याचिका या मुकदमे के निष्पक्ष परीक्षण में पूर्वाग्रह, शर्मिंदगी या देरी कर सकती हैं। वादपत्र की जांच करना अदालत का कर्तव्य है और उसे प्रतिवादी द्वारा लिखित बयान दाखिल करने और दोषों को इंगित करने तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। यदि अदालत वादपत्र या चुनाव याचिका की जांच पर पाती है कि यह कार्रवाई के किसी भी कारण का खुलासा नहीं करता है, तो यह विनती को ख़त्म करना उचित होगा । आदेश VI नियम 16 ही अदालत को कार्यवाही के किसी भी चरण में दलीलों को खारिज करने का अधिकार देता है, यहां तक कि प्रतिवादी द्वारा लिखित बयान दाखिल करने या मुकदमा शुरू होने से पहले भी। यदि न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि चुनाव याचिका कार्रवाई का कोई कारण नहीं बताती है और मुकदमा पक्षपातपूर्ण, शर्मिंदा और कार्यवाही में देरी करेगा, तो अदालत को लिखित बयान दाखिल करने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, इसके बजाय वह प्रारंभिक सुनवाई के लिए आगे बढ़ सकती है। आपत्तियाँ करें और दलीलों को खारिज करें। यदि कार्यवाही समाप्त करने के बाद अदालत को पता चलता है कि विचारणीय कोई मुद्दा नहीं बचा है, तो उसे आदेश VII नियम 11 सीपीसी के तहत चुनाव याचिका को खारिज करने की शक्ति है।

(26) **सामंत एन. बालकृष्ण आदि बनाम जॉर्ज फर्नांडीज और अन्य** [4](4) में, माननीय सुप्रीम ने अधिनियम की धारा 81, 83 और 86 पर निम्नानुसार टिप्पणी की: -

"धारा 83 अनिवार्य है और चुनाव याचिका में पहले भौतिक तथ्यों का संक्षिप्त विवरण और फिर यथासंभव पूर्ण विवरण की आवश्यकता होती है। "भौतिक तथ्य" और विवरण के बीच क्या अंतर है? "सामग्री" शब्द दर्शाता है कि आवश्यक तथ्य कार्रवाई का पूरा कारण तैयार करने के लिए कहा जाना चाहिए। एक भी भौतिक तथ्य के चूक से कार्रवाई का कारण अधूरा हो जाता है और दावे का विवरण खराब हो जाता है। विवरण का कार्य कार्रवाई के कारण की पूरी तस्वीर पेश करने के लिए आवश्यक जानकारी देना है। "

(27) **हरि शंकर जैन बनाम सोनिया गांधी** [5](5) मामले में, यह माना गया कि अधिनियम की धारा 83(1) (ए) में कहा गया है कि एक चुनाव याचिका में उन भौतिक तथ्यों का संक्षिप्त विवरण होगा जिन पर याचिकाकर्ता भरोसा करता है। बताए जाने वाले आवश्यक भौतिक तथ्य वे तथ्य हैं जिन्हें लगाए गए आरोपों का समर्थन करने वाली सामग्री के रूप में माना जा सकता है। दूसरे शब्दों में, वे ऐसे तथ्य होने चाहिए जो याचिका में लगाए गए आरोपों के लिए आधार प्रदान करें और सीपीसी में समझे अनुसार कार्रवाई का कारण बनें। अभिव्यक्ति "कार्रवाई का कारण" को हर उस तथ्य के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे अदालत के फैसले के अपने अधिकार का समर्थन करने के लिए वादी के लिए साबित करना आवश्यक होगा। एक भी भौतिक तथ्य के चूक जाने से कार्रवाई का कारण अधूरा रह जाता है और दावे का विवरण ख़राब हो जाता है। पार्टी का

[4] AIR 1969 SC 1201
[5] 2001 (8) SCC 233

कार्य पूरी तस्वीर प्रस्तुत करना है कार्रवाई का कारण ऐसी अतिरिक्त जानकारी के साथ विस्तार से देना होगा ताकि विरोधी पक्ष मामले को समझ सके, उसे मिलना होगा। किसी मंत्र के जाप जैसे अनुभाग के शब्दों को उद्धृत करना भौतिक तथ्यों को बताने के समान है। भौतिक तथ्यों में तथ्यों के कथन के साथ-साथ आवश्यक नकारात्मक पक्ष का सकारात्मक अनुमान भी शामिल होगा। "भौतिक तथ्यों" को प्रस्तुत करने में विफलता चुनाव याचिका के लिए घातक है और चुनाव याचिका दायर करने के लिए निर्धारित समय सीमा के बाद ऐसे भौतिक तथ्यों को पेश करने के लिए दलीलों में कोई संशोधन करने की अनुमति नहीं है।

(28) **उधव सिंह बनाम माधव राव सिंधिया** [6](6) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देखा गया कि-

"सभी प्राथमिक तथ्य, जिन्हें किसी पक्ष द्वारा कार्रवाई के कारण या बचाव के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए परीक्षण में साबित किया जाना चाहिए, "भौतिक तथ्य" हैं। भ्रष्ट आचरण के आरोप के संदर्भ में, "भौतिक तथ्य" का अर्थ सभी होगा कथित विशेष भ्रष्ट आचरण की सामग्री बनाने वाले बुनियादी तथ्य, जिसे याचिकाकर्ता उस आरोप पर सफल होने से पहले साबित करने के लिए बाध्य है। चाहे चुनाव याचिका में, कोई विशेष तथ्य महत्वपूर्ण हो या नहीं, और इस तरह से दलील देने की आवश्यकता होती है प्रश्न जो लगाए गए आरोप की प्रकृति, आधार पर भरोसा किया गया और मामले की विशेष परिस्थितियों पर निर्भर करता है। संक्षेप में, वे सभी तथ्य जो याचिकाकर्ता को कार्रवाई का पूरा कारण देने के लिए आवश्यक हैं, वे भौतिक तथ्य हैं जिन्हें प्रस्तुत

[6] AIR 1976 SC 744

किया जाना चाहिए , और एक भी महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत करने में विफलता धारा 83(1)(ए) के आदेश की अवज्ञा है।

दूसरी ओर, "विवरण", पार्टी द्वारा स्थापित मामले का विवरण है। सीएल के चिंतन में सामग्री विवरण। इसलिए धारा 83(1) के (बी) का अर्थ उन सभी विवरणों से होगा जो खंड (ए) की आवश्यकताओं के अनुपालन में याचिका में पहले से ही प्रस्तुत किए गए भौतिक तथ्यों को बढ़ाने, परिष्कृत और सुशोभित करने के लिए आवश्यक हैं। विवरण पहले से खींचे गए चित्र की मूल रूपरेखा को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से इसे और अधिक विस्तृत और अधिक जानकारीपूर्ण बनाने के उद्देश्य से काम करते हैं।

(29) प्रतिवादी नंबर 1 (लौटे हुए उम्मीदवार) के विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि चुनाव याचिका अस्पष्ट थी क्योंकि इसमें कोई संक्षिप्त बयान नहीं है कि याचिकाकर्ता ने दया नंद और महाबीर सिंह को किस गांव में वोट दिया होगा। शर्मा को प्रतियोगिता के मैदान से बाहर कर दिया गया था। यह प्रस्तुत किया गया कि यह आरोप कि यदि उन्हें प्रतियोगिता के मैदान से बाहर कर दिया गया होता, तो उन्हें वे सभी वोट मिले होते जो उन्हें मिले थे, सामान्य प्रकृति का और अस्पष्ट है और अनुमानों और अनुमानों पर आधारित है।

(30) **वशिष्ठ नारायण शर्मा बनाम देव चंद्र और अन्य** [7](7) मामले में, यह माना गया कि अधिनियम की धारा 100(1)(सी) की भाषा संभावनाओं के बारे में किसी भी अटकल के लिए बहुत स्पष्ट है। धारा स्पष्ट रूप से कहती है कि अनुचित स्वीकृति को चुनाव के लिए घातक नहीं माना

[7] AIR 1954 SC 513

जाएगा जब तक कि ट्रिब्यूनल की राय न हो कि परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है। जहां ट्रिब्यूनल का यह निष्कर्ष कि चुनाव का परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है, काल्पनिक और अनुमानित है, सर्वोच्च न्यायालय विशेष अपील में निष्कर्ष में हस्तक्षेप करेगा।

(31) एआईआर 1954 एससी 513 में, 8 उम्मीदवारों ने यूपी के लिए नामांकन दाखिल किया। राज्य विधान सभा ग़ाज़ीपुर (दक्षिण पूर्व) निर्वाचन क्षेत्र संख्या 345 से तीन ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली और मुकाबला शेष पांच अर्थात् वशिष्ठ नारायण शर्मा, वीरेश्वर नाथ राय, महादेव दूधनाथ और गुलाब चंद तक ही सीमित रह गया, जिन्होंने 12,868, 10,996, 3,950, 1,933 वोट हासिल किए। और क्रमशः 1,763 वोट। वशिष्ठ नारायण शर्मा को यूपी के लिए निर्वाचित घोषित किया गया। राज्य विधान सभा. उनके चुनाव को चुनौती दी गई थी. चुनौती का एक आधार यह था कि प्रतिवादी नंबर 4 का नामांकन चुनाव अधिकारी द्वारा अनुचित तरीके से स्वीकार किया गया था और इससे चुनाव का परिणाम प्रभावित हुआ था। ट्रिब्यूनल ने पाया कि प्रतिवादी नंबर 4, जिसका नाम ग़ामर निर्वाचन क्षेत्र ग़ाज़ीपुर (दक्षिण पूर्व) की मतदाता सूची में दर्ज किया गया था, ने खुद को दूध नाथ कहल के रूप में प्रस्तुत किया (अर्थात् खुद को पेश किया) और बरुनी निर्वाचन क्षेत्र ग़ाज़ीपुर की अपनी मतदाता सूची की प्रविष्टियों का उपयोग किया (दक्षिण पश्चिम), कि रिटर्निंग अधिकारी ने उनके नामांकन को अनुचित तरीके से स्वीकार कर लिया था और इससे चुनाव का परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित हुआ था। बड़े और छोटे भ्रष्ट आचरण और कुछ वैधानिक नियमों का अनुपालन न करने के आरोप लगाए गए लेकिन ट्रिब्यूनल ने इसके पक्ष में फैसला सुनाया। उन बिंदुओं पर अभ्यर्थी लौटे. एक पक्ष या दूसरे पक्ष से आने वाले गवाहों के आईपीएस दीक्षित को यह कहना असंभव है कि सभी या कुछ वोट किसी कथित या काल्पनिक आधार पर एक या दूसरे को गए होंगे। वाओ तार की संख्या 111 थी। गवाहों की आईपीएसी

दीक्षित को स्वीकार करना असंभव है। यदि सफल उम्मीदवार और अगले उच्चतम उम्मीदवार के बीच वोटों का अंतर उस उम्मीदवार द्वारा प्राप्त वोटों से कम था, जिसका नामांकन अनुचित तरीके से स्वीकार किया गया था, तो हम इस दृष्टिकोण की सुदृढ़ता को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि वे वोट अगले उच्चतम उम्मीदवार को गए होंगे। . किसी चुनाव में वोट डालना कई कारकों पर निर्भर करता है और किसी के लिए भी यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि किसी एक या दूसरे उम्मीदवार को कितने या किस अनुपात में वोट मिलेंगे। हालांकि यह माना जाना चाहिए कि ऐसे मामले में याचिकाकर्ता को एक कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है, धारा 100(1)(सी) द्वारा उस पर लगाए गए कर्तव्य से उसे मुक्त करना और सबूत के बिना यह मानना संभव नहीं है कि कर्तव्य निभाया गया है। छुट्टी दे दी गई। यदि याचिकाकर्ता इस बिंदु पर न्यायालय को अपने पक्ष में निष्कर्ष निकालने में सक्षम करने के लिए संतोषजनक साक्ष्य पेश करने में विफल रहता है, तो अपरिहार्य परिणाम यह होगा कि ट्रिब्यूनल उसके पक्ष में हस्तक्षेप नहीं करेगा और चुनाव को अनुमति देगा। केवल इस तथ्य से कि बर्बाद हुए वोट लौटे हुए उम्मीदवार और अगले सबसे अधिक वोट हासिल करने वाले उम्मीदवार के बीच वोटों के अंतर से अधिक हैं, यह आवश्यक निष्कर्ष निकालना चाहिए कि चुनाव का परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है। केवल यह कहने से काम नहीं चलेगा कि बर्बाद हुए सभी या अधिकांश वोट अगले सर्वोच्च उम्मीदवार को चले गए होंगे।

(32) यह **पाओकाई हाओकिप बनाम रिशांग और अन्य** [8](8) में आयोजित किया गया था, कि चुनाव में वोट डालना कई कारकों पर निर्भर करता है और किसी के लिए भी यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि कितने या किस अनुपात में वोट जाएंगे। उम्मीदवारों में से एक या दूसरा। न

[8] AIR 1969 SC 663

केवल इस निर्वाचन क्षेत्र में बल्कि पूरे भारत में मतदान का सामान्य पैटर्न यह है कि सभी मतदाता हमेशा मतदान में नहीं जाते हैं।

(33) अज़हर हुसैन बनाम राजीव गांधी (सुप्रा) में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यदि भौतिक तथ्य स्थापित हो जाते हैं, तो याचिकाकर्ता को पूरी राहत मिल जाएगी। कसौटी इस बात का उत्तर देना है कि क्या अदालत चुनाव याचिकाकर्ता के पक्ष में सीधा फैसला दे सकती थी यदि लौटा हुआ उम्मीदवार याचिका में दिए गए तथ्यों के आधार पर चुनाव याचिका का विरोध करने के लिए उपस्थित नहीं हुआ था।

(34) जहां तक हाथ में चुनाव याचिका का सवाल है, भले ही प्रतिवादी नंबर 1 (लौटे हुए उम्मीदवार) ने उपस्थित न होने और इसे लड़ने का विकल्प नहीं चुना था, अदालत इस चुनाव याचिका की अनुमति नहीं दे सकती थी और याचिकाकर्ता को निर्वाचित घोषित नहीं कर सकती थी। लौटे हुए उम्मीदवार के स्थान पर और लौटे हुए उम्मीदवार का निर्वाचन रद्द कर दिया जाए। भौतिक तथ्यों की कमी वाली ऐसी अस्पष्ट चुनाव याचिका पर फैसला नहीं दिया जा सकता था।

(35) प्रतिवादी संख्या 5 के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि भौतिक तथ्यों और विवरणों के बीच अंतर है। विवरण का कार्य ऐसी जानकारी के साथ कार्रवाई के कारण की पूरी तस्वीर प्रस्तुत करना है ताकि विपरीत पक्ष को यह समझ में आ सके कि उसे किस मामले से निपटना है। भौतिक तथ्यों और विवरणों के बीच कुछ ओवरलैपिंग हो सकती है लेकिन दोनों बिल्कुल अलग हैं। भेद डिग्री में से एक है. भौतिक तथ्य वे हैं जिन पर पार्टी भरोसा करती है और यदि वह

साबित नहीं कर पाती है तो असफल हो जाती है। यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता को भौतिक विवरण प्रदान करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि जब वह भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाता है तो उन्हें आपूर्ति करना आवश्यक होता है। यह प्रस्तुत किया गया था कि चुनाव याचिका कार्रवाई के कारण का खुलासा करती है क्योंकि यह दलील दी गई है कि यदि दया नंद और महावीर सिंह शर्मा प्रतिवादियों को चुनाव के मैदान से बाहर कर दिया गया होता, तो उन्हें सभी नहीं तो लगभग अधिकांश वोट मिले होते। उनके द्वारा मतदान किया गया। यह प्रस्तुत किया गया था कि भौतिक तथ्यों का मतलब है (ए) कार्रवाई का पूरा कारण तैयार करने के लिए आवश्यक तथ्य, (बी) सभी प्रारंभिक तथ्य जिन्हें पार्टी द्वारा कार्रवाई का कारण स्थापित करने के लिए साबित किया जाना चाहिए, (सी) बुनियादी तथ्य जो गठित होते हैं विशिष्ट भ्रष्ट आचरण के तत्व, (डी) सभी तथ्य जो याचिकाकर्ता को कार्रवाई का पूरा कारण देने के लिए आवश्यक हैं, (ई) वे तथ्य जो स्थापित होने पर याचिकाकर्ता को मांगी गई राहत देंगे, (0 के आधार पर तथ्य) यदि लौटाया गया उम्मीदवार याचिका का विरोध करने के लिए उपस्थित नहीं होता है, तो न्यायालय चुनाव याचिकाकर्ता के पक्ष में सीधा फैसला दे सकता है, (छ) तथ्य जो साबित नहीं होने पर, याचिका को अवश्य देना चाहिए असफल। इस निवेदन के समर्थन में उन्होंने मेरा ध्यान **मोहम्मद यूसुफ और अन्य बनाम भैरों सिंह शेखावत** [9](9) की ओर आकर्षित किया। यह प्रस्तुत किया गया कि जिन भौतिक तथ्यों की वकालत की गई है, उनके संबंध में अतिरिक्त सामग्री और बेहतर विवरण के अभाव में एक चुनाव याचिका को खारिज नहीं किया जा सकता है। **दिलीप चौधरी बनाम सुरेंद्र गोयल और अन्य** [10](10) में, यह माना गया कि जहां याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि रिटर्निंग अधिकारी ने निर्वाचित उम्मीदवार का पक्ष लिया और याचिकाकर्ता के पक्ष में डाले गए वैध वोटों को खारिज कर दिया और लौटाए गए बंडलों में अवैध वोटों को शामिल कर दिया। उम्मीदवार,

[9] AIR 1995 Rajasthan 239
[10] AIR 1999 Rajasthan 344

मतपत्रों की संख्या का उल्लेख न करने जैसे भौतिक विवरणों की कमी के आधार पर याचिका को अस्वीकार करना टिकाऊ नहीं है।

(36) लौटे उम्मीदवार के लिए विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि भौतिक तथ्य और विवरण जो मिलकर साबित किए जाने वाले तथ्यों का गठन करते हैं या एक तरफ तथ्यात्मक जांच करते हैं और दूसरी तरफ वे साक्ष्य हैं जिनके द्वारा उन तथ्यों को साबित किया जाना है। अन्य को स्पष्ट रूप से अलग रखा जाना चाहिए। कार्रवाई के उचित कारण का खुलासा करने में दलीलों की विफलता को पूर्ण विवरण की अनुपस्थिति से अलग किया जाता है। इस प्रस्तुतिकरण के समर्थन में, उन्होंने मेरा ध्यान **मोहन रावले बनाम दामोदर तात्याबा उर्फ दादासाहेब और अन्य** [11](11) की ओर आकर्षित किया, यह प्रस्तुत किया गया था कि यदि कार्रवाई के कुछ कारण का खुलासा किया जाता है, तो दलीलों को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि कारण कमजोर है और संभावना नहीं है। सफल होने के लिए। बुलेन और लीक और जैकब के "प्रीसिडेंट्स ऑफ प्लीडिंग्स" 1975 संस्करण में पृष्ठ 112 पर, यह कहा गया है कि विवरणों का कार्य इस प्रमुख सिद्धांत को क्रियान्वित करना है कि पार्टियों के बीच मुकदमेबाजी, और विशेष रूप से मुकदमा, निष्पक्ष रूप से संचालित किया जाना चाहिए। खुले तौर पर और बिना किसी आश्चर्य के और संयोगवश खटिया बचाने के लिए। विवरण का उद्देश्य विपरीत पक्ष के मामले को खोलना और उसे जितना संभव हो उतना खुलासा करने के लिए मजबूर करना है कि मुकदमे में क्या साबित होने वाला है, जबकि कॉटन एलजे के रूप में। ने कहा है, "सामान्य कानून में दलील देने की पुरानी प्रणाली में जितना संभव हो सके मुकदमे में जो साबित होने वाला था उसे छिपाना था"। दलील देने में यह एक प्राथमिक नियम है कि जब किसी तथ्य की स्थिति पर भरोसा किया जाता

[11] 1994 (2) SCC 392

है तो उस पर केवल आरोप लगाना ही पर्याप्त होता है, बिना उन अधीनस्थ तथ्यों को बताए, जो इसे साबित करने के साधन हैं, या आरोपों को कायम रखने वाले सबूत हैं।

(37) यह प्रस्तुत किया गया कि चुनाव याचिका में, चुनाव याचिकाकर्ता ने न केवल दया नंद और महाबीर सिंह शर्मा के नामांकन पत्रों को अनुचित तरीके से स्वीकार करने का अनुरोध किया है, बल्कि उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि उन्हें मिले वोट यदि उनका नामांकन खारिज कर दिया गया था तो उनका पक्ष। उन्होंने कारण बताया है कि वह ऐसा क्यों कह रहे हैं। एआईआर 2001 एससी 905 में यह माना गया कि केवल नामांकन की गलत स्वीकृति का आरोप पर्याप्त नहीं है। यह भी स्थापित किया जाना चाहिए कि इस तरह की गलत स्वीकृति ने निर्वाचित उम्मीदवार के चुनाव परिणाम को भौतिक रूप से प्रभावित किया है। पिछले चुनावों के दौरान अलग-अलग राजनीतिक दलों के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के बीच मतदान की प्रवृत्ति या वोटों के वितरण को दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है, बर्बाद वोटों के वितरण के बारे में कोई गवाह नहीं है, यह नहीं माना जा सकता है कि चुनाव लड़ने वाले किसी भी स्वतंत्र उम्मीदवार द्वारा प्राप्त वोट अनुपातहीन रूप से अधिक थे या यदि यह नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया होता तो उसके पक्ष में डाले गए वोट अपीलकर्ता को प्राप्त होते। इससे भी अधिक, जब मैदान में दो अन्य उम्मीदवार थे, तो यह नहीं कहा जा सकता कि लौटे उम्मीदवार के चुनाव परिणाम पर कोई भौतिक प्रभाव पड़ा।

(38) शपथ के रूप में "विधान परिषद" शब्द को न मिटाने का कोई मतलब नहीं था, जबकि हरियाणा में कोई विधान परिषद नहीं थी।

(39) ऊपर दिए गए कारण से, मेरी राय है कि चुनाव याचिका में उन भौतिक तथ्यों का अभाव है जो याचिकाकर्ता के लिए निर्वाचित उम्मीदवार के चुनाव को चुनौती देने के लिए कार्रवाई का कारण बनते हैं। अपने दावे के समर्थन में सभी भौतिक तथ्यों का उल्लेख करने में विफलता कि यदि दया नंद और महाबीर सिंह शर्मा प्रतिवादी संख्या 2 और 5 को प्रतियोगिता के मैदान से बाहर कर दिया गया होता, तो उन्होंने उनके पक्ष में प्राप्त सभी वोट प्राप्त कर लिए होते, इस चुनाव याचिका की निरंतरता पर प्रभाव पड़ेगा। उन मतदान केंद्रों का उल्लेख करने में विफलता जहां उन्हें उन पर बढ़त हासिल होगी, खासकर, जब एक से अधिक उम्मीदवार हों, तो चुनाव याचिका अस्पष्ट होने की समस्या से ग्रस्त हो जाएगी। ऐसी चुनाव याचिका पर विचार करने का क्या फायदा जिसमें भौतिक तथ्यों का अभाव हो, सिवाय इसके कि इससे सार्वजनिक धन की बर्बादी होगी और निर्वाचित उम्मीदवार को अनावश्यक खर्च करना पड़ेगा। याचिकाकर्ता को चुनाव में बाहर होना चाहिए था। प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा एक विशेष मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों की याचिका दायर की जाती है और फिर उस वोट पर उसे इतने वोट मिले होंगे जितने वोट उस समय दया नंद और महावीर सिंह शर्मा को मिले थे मतदान केंद्र में और इतने सारे वोट दूसरे उम्मीदवार को मिले होंगे या उन्हें कोई वोल्ट नहीं मिला होगा। याचिकाकर्ता को प्रत्येक मतदान केंद्र पर अपनी स्थिति बतानी चाहिए थी ताकि लौटा हुआ उम्मीदवार अपनी स्थिति का खंडन कर सके। यह चुनाव याचिका किसी विचारणीय मुद्दे का खुलासा नहीं करती है। यह याचिका खारिज की जा सकती है और तदनुसार आदेश VI नियम 11 के साथ पठित आदेश VI नियम 16 सीपीसी के तहत इसे अस्पष्ट होने और कार्रवाई का पूरा कारण बनाने वाले भौतिक तथ्य और विवरण नहीं देने और वस्तुतः कार्रवाई का कोई कारण नहीं बताने के आधार पर खारिज किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 (लौटे हुए उम्मीदवार) को याचिकाकर्ता द्वारा लागत के रूप में 3,300 रुपये का भुगतान किया जाएगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

श्रेया बंसल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

अंबाला, हरियाणा